रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 939] नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 29, 2013/वैशाख 9, 1935
No. 939] NEW DELHI, MONDAY, APRIL 29, 2013/VAISAKHA 9, 1935

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 अप्रैल, 2013

का.आ. 1070(अ).—केन्द्रीय सरकार, विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 (2010 का 42) की धारा 41 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विनिर्दिष्ट करती है कि नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट अधिकारी अधिनियम के अधीन कोई अभियोजन संस्थित करने से पूर्व उक्त सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट अपराधों का उक्त सारणी के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट रकम का संदाय करने पर शमन कर सकेगा, अर्थात् :-

सारणी

क्रम सं.	अपराध	शास्ति की रकम	शमन करने के लिए सक्षम प्राधिकारी
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर के पश्चात् नब्बे दिन तक विवरणी प्रस्तुत न करना ।	वित्त वर्ष के दौरान प्राप्त रकम की दो प्रतिशत या दस हजार रुपए, जो भी अधिक हो, की शास्ति ।	गृह मंत्रालय के विदेशी प्रभाग का विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम खंड का प्रभारी निदेशक या उपसचिव ।
2.	प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर के पश्चात् इक्यानवें दिन के पश्चात् एक सौ अस्सी दिन तक विवरणी प्रस्तुत न करना ।	वित्त वर्ष के दौरान प्राप्त रकम की तीन प्रतिशत या बीस हजार रुपए, जो भी अधिक हो, की शास्ति ।	गृह मंत्रालय के विदेशी प्रभाग का विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम खंड का प्रभारी निदेशक या उपसचिव ।
3.	प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर के पश्चात् एक सौ अस्सी दिन के पश्चात् विवरणी प्रस्तुत न करना ।	वित्त वर्ष के दौरान प्राप्त रकम की पांच प्रतिशत या पचास हजार रुपए, जो भी अधिक हो, के साथ एक सौ अस्सी दिन के पश्चात् विलंब के प्रत्येक दिन के लिए पांच सौ रुपए की शास्ति ।	गृह मंत्रालय में विदेशी प्रभाग का विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम खंड का प्रभारी निदेशक या उपसचिव ।

[सं. II/21022/23(49)/2012-एफसीआरए-III]

वी. वमलनमंग, संयुक्त सचिव